भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115

सं.104/1/2007-एफएम **दिनांक 24 सितम्बर, 2008**

आदेश

"निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण-II) विषयक नीतिगत दिशानिर्देशों के संशोधन के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितम्बर, 2008 को लिए गए निर्णय के अनुसरण में एफएम चरण-II नीति के मौजूदा पैरा 8.3 को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया है :

"8.3 विदेशी निवेश सहित अथवा रहित किसी भी अनुमतिधारक को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की लिखित अनुमति, जोकि नए शेयरधारक द्वारा पात्रता के सभी निर्धारित मानदंड पूरा करने की शर्त के अधीन अनुमति के प्रचालनीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी, के बिना अधिसंख्य शेयरधारकों/प्रमोटरों के शेयरों के अंतरण के माध्यम से कंपनी की स्वामित्व प्रणाली में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तथापि, सहायक कंपनी बनाने, एक ही समूह की कंपनियों के एकीकरण, किसी कंपनी को छोटी-छोटी कंपनियों में विभाजित करने इत्यादि के प्रयोजन के लिए शेयरों के अंतरण संबंधी अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन पांच वर्ष की अवधि के भीतर अनुमति दी जा सकती है :

(क) अधिसंख्य शेयरधारक/प्रमोटर, अधिसंख्य शेयरधारक/प्रमोटर बने रहेंगे और उनके पास कुल शेयरों के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।

(ख) नई कारपोरेट संस्थाएं अपने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) घटक को निर्धारित सीमा के भीतर रखेंगी और निविदा दस्तावेज और अनुमति मंजूरी करार (जी ओ पी ए) के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगी।

(ग) नई कारपोरेट संस्थाओं का न्यूनतम निर्धारित निवल मूल्य होना चाहिए और उन्हें निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों तथा करार के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

(घ) नई कंपनी को मूल कंपनी के लाइसेंस की शेष अवधि के लिए सरकार के साथ समान निबंधन और शर्तों पर नए करार पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

(ङ) शेयरों का इस प्रकार का अंतरण प्रचालनीकरण की तारीख से पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान केवल एक बार अनुमत्य होगा।

(च) किसी भी नई कर व्यवस्था को सहायक कंपनियों के सृजन, एफएम प्रसारण कंपनियों के विलय/छोटी कंपनियों में विखंडन, एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन देने के लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा।

(छ) इस प्रकार के विलय/छोटी कंपनियों में विखंडन, एकीकरण के कारण सामने आने वाले कर संबंधी निहितार्थ वाले किसी भी मामले को समय-समय पर लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाएगा।

(ज) नई कंपनियों/सहायक कंपनियों की स्थापना उनके विलय/छोटी कंपनियों में विखंडन और/अथवा मौजूदा कंपनियों के उपक्रमों, अथवा उनके किसी हिस्से के विनिवेश इत्यादि सहित लाइसेंसधारक कंपनियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया/कार्रवाई कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार की जानी आवश्यक है। आवेदक इस प्रकार की किसी अपेक्षा को अपने संगम अनुच्छेद अथवा किसी प्रकार के माध्यम से कम नहीं करेगा।

2. यथा संशोधित, निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण-II) संबंधी एफएम नीति सामान्य जानकारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

ह./-

(जोहरा चटर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23382597

प्रतिलिपि :

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, गृह मंत्रालाय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115

सं.104/1/2007-एफएम **दिनांक 24 सितम्बर, 2008**

विषय : निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण-II) संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों में सुधार।

जैसाकि एन आई सी जानता है, निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण-II) संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश पहले ही मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाए जा चुके हैं। अब सरकार ने इन दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि निजी एमएफ प्रसारणकर्ता अपने रेडियो व्यवसाय को छोटे केंद्रों में विभाजित कर सकें।

2. तदनुसार, नीतिगत दिशानिर्देशों के मौजूदा खंड 8.3 को नीचे दिए गए संशोधन खंड से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है :

"8.3 विदेशी निवेश सहित अथवा रहित किसी भी अनुमतिधारक को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की लिखित अनुमति, जोकि नए शेयरधारक द्वारा पात्रता के सभी निर्धारित मानदंड पूरा करने की शर्त के अधीन अनुमति के प्रचालनीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी, के बिना अधिसंख्य शेयरधारकों/प्रमोटरों के शेयरों के अंतरण के माध्यम से कंपनी की स्वामित्व प्रणाली में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तथापि, सहायक कंपनी बनाने, एक ही समूह की कंपनियों के एकीकरण, किसी कंपनी को छोटी-छोटी कंपनियों में विभाजित करने इत्यादि के प्रयोजन के लिए शेयरों के अंतरण संबंधी अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन पांच वर्ष की अवधि के भीतर अनुमति दी जा सकती है :

(क) **अधिसंख्य शेयरधारक/प्रमोटर, अधिसंख्य शेयरधारक/प्रमोटर बने रहेंगे और उनके पास कुल शेयरों के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।**

(ख) नई कारपोरेट संस्थाएं अपने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) घटक को निर्धारित सीमा के भीतर रखेंगी और निविदा दस्तावेज और अनुमति मंजूरी करार (जी ओ पी ए) के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगी।

(ग) नई कारपोरेट संस्थाओं का न्यूनतम निर्धारित निवल मूल्य होना चाहिए और उन्हें निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों तथा करार के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

(घ) नई कंपनी को मूल कंपनी के लाइसेंस की शेष अवधि के लिए सरकार के साथ समान निबंधन और शर्तों पर नए करार पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

(ङ) शेयरों का इस प्रकार का अंतरण प्रचालनीकरण की तारीख से पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान केवल एक बार अनुमत्य होगा।

(च) किसी भी नई कर व्यवस्था को सहायक कंपनियों के सृजन, एफएम प्रसारण कंपनियों के विलय/छोटी कंपनियों में विखंडन, एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन देने के लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा।

(छ) इस प्रकार के विलय/छोटी कंपनियों में विखंडन, एकीकरण के कारण सामने आने वाले कर संबंधी निहितार्थ वाले किसी भी मामले को समय-समय पर लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाएगा।

(ज) नई कंपनियों/सहायक कंपनियों की स्थापना उनके विलय/छोटी कंपनियों में विखंडन और/अथवा मौजूदा कंपनियों के उपक्रमों, अथवा उनके किसी हिस्से के विनिवेश इत्यादि सहित लाइसेंसधारक कंपनियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया/कार्रवाई कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार की जानी आवश्यक है। आवेदक इस प्रकार की किसी अपेक्षा को अपने संगम अनुच्छेद अथवा किसी प्रकार के माध्यम से कम नहीं करेगा।

3. एन आई सी से निजी एजेंसियों द्वारा एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण-II) संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों के मौजूदा खंड 8.3 को ऊपर उल्लिखित संशोधित खंड से प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।

ह./-

(एस. पी. वीर)

अवर सचिव(एफएम)

एनआईसी